निरीक्षण आख्या **कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर**, द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर, के माह 08/2013 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री शंकर सिंह दरियाल, दिलीप कुमार मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पारस शर्मा, वº लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13/10/2016 से 20/10/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री शंकर सिंह दरयाल, श्री राघवेंद्र सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दिनेश रमोला, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में के पर्यवेक्षण में दिनांक 08/08/2013 से 14/08/2013 में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 06/2011 से 07/2013 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 09/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।
   1- डाº एमº एसº नयाल मुख्य चिकित्साधिकारी 14/07/2011 से 15/10/2013
   2- डाº रवीन्द्र चंद्र मुख्य चिकित्साधिकारी 15/10/2013 से वर्तमान तक।

3. विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर :-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)
2013-14	06/2013-14	-	01 & 02
2011-12	16/2011-12	01 & 02	01

4. सतत अनियमिततायें:- शून्य

5. अप्रस्तुत अभिलेख:- (कारण सहित)

6. बजट

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय	
	स्थापना पर	गैर स्थापना	स्थापना पर	गैर स्थापना
2013-14	29223000	29126493	13101000	13019614
2014-15	27822081	27697757	16787236	16498014
2015-16	27873958	27873958	17501204	17452589
2016-17(upto 09/2016)	8230780	5966959	19780000	9487509

भाग दो–(ब)

प्रस्तर- 01 रु 208.27 लाख की औषिधियों एवं वैक्सीनों का गुणवत्ता जांच के बिना ही पशुधनों पर उपयोग किया जाना

पशुपालन विभाग के द्वारा क्रय की गई औषिधियों/ वैक्सीनों के संबंध मे सचिव, उत्तराखंड शासनादेश संख्या 258/XV-1/2(100)/2007 दिनांक 24 नवंबर 2008 के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार एक बार मे क्रय की गई विभिन्न औषिधियों मे से 10 प्रतिशत दवाओ के रेंडम नमूने लेकर उनका ख्याति प्राप्त संस्था से विश्लेषण कराया जाये ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, उक्त लिखित शासनादेश के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार अपर, निदेशक पशुपालन का यह दायित्व होगा कि वे उपकरणो को छोड़कर आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का दो सील किए गए नमूने इनके परीक्षण के मानको के अनुसार अपनी अभिरक्षा मे सुरक्षित रखेंगे तथा समय समय पर विशिष्टियों एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण करते रहेंगे। इस संबंध मे निदेशक, पशुपालन विभाग के द्वारा भी दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखंड, देहरादून को इस आशय का पत्र लिखा गया था, कि पशु पालन विभाग के केंद्रीय भंडारो मे विभिन्न आपूर्ति कर्ता फ़र्मों द्वारा आपूर्ति की गई औषिधियों के रेंडम सैंपल एकत्र कर उनकी जांच हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया था इसकी प्रतिलिपि समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तराखंड को इस आशय से पृष्ठांकित किया गया था, कि वे संबन्धित विभाग से संपर्क कर औशिधियों के नमूनो की जांच करवाना सुनिश्चित करे।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय रुद्रपुर की लेखापरीक्षा के दौरान औषिधियों/ वैक्सीन खरीद एवं आपूर्ति से संबन्धित पत्रावली/ पंजिका की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि अगस्त 2013 से सितंबर 2016 तक कुल रु 208.27 लाख की औषिधियों/ वैक्सीन क्रय किया गया था, लेकिन उक्तलिखित शासनादेश/ निर्देशों के विपरीत क्रय की गई औषिधियों / वैक्सीनो का कोई नमूना जांच नहीं कराया गया था। जबकि उक्तलिखित शासनदेशानुसार क्रय की गई औषिधियों एवं वैक्सीनों का नमूना जांचोपरांत ही औषिधियों एवं वैक्सीनों को संबन्धित पशुचिकित्सालयों को जारी किया जाना चाहिया था, लेकिन विभाग के द्वारा बिना औषिधियों एवं वैक्सीनों की गुणवत्ता जांच के ही संबन्धित विभिन्न पशुचिकित्सालयों को जारी किया गया है, ज़ो कि पशुधन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि ***" इस कार्यालय के द्वारा पत्राचार किया गया परंतु संबन्धित विभाग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है"*** **आगे यह भी बताया कि** ***"भविष्य मे शासनादेशानुसार प्रक्रिया अपनाकर औषिधी एवं रसायन जारी कि जाएगी।"*** विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्तलिखित शासनादेशानुसार एवं निदेशक, पशुपालन विभाग के निर्देशों के विपरीत क्रय की गई औषिधियों/ वैक्सीनों की नमूना जांच के बिना ही पशुधन पर उपयोग की गई, ज़ो कि गंभीर अनियमित्ता तथा पशुधन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अतः रु 208.27 लाख की औषिधियों एवं वैक्सीनों की बगैर गुणवत्ता जांच के ही पशुधन पर उपयोग किया जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 01 रु- सामान्य भविष्य निधि से आहरित धनराशियों को नहीं घटाया जाना

सामान्य भविष्य निधि धारको हेतु यह प्रावधान है कि किसी भी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियो द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि से लिए गए किसी भी वर्ष के स्थायी एवं अस्थाई अग्रिम को उसी वर्ष के अंतिम अवशेष से समायोजित कर सक्षम अधिकारी से सत्यापित करा लिया जाना चाहिए जिससे की अगले वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष का शुद्ध आगणन किया जा सके

कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी रुद्रपुर कि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री इंद्रजीत सिंह (स्वच्छक) की सामान्य भविष्य निधि पास बुक के अवलोकन मे पाया गया की श्री इंद्रजीत सिंह द्वारा वर्ष 2014-15 मे कार्यालय ज्ञाप संख्या 263 दिनांक 4/2/2015 के अनुसार अंतिम आहरण रु 100000 लिया गया था जिसकी कटौती तत्समय फरवरी,2015 मे नहीं की गई थी जिस कारण वर्ष 2015-16 मे भी इनका भविष्य निधि खाते मे रु 109425 से अधिक दिखाया गया है। इनका वर्ष 2015-16 मे कुल रु 366511 अवशेष दिखाया गया है, जिसमे से वर्ष 2015-16 मे रु 50000 अंतिम निष्कासन लिया था। गणनानुसार कुल अंतिम अवशेष रु 370861.00 मे से पूर्व मे वर्ष 2014-15 मे लिया गया अंतिम आहरण रु 100000 एवं उसमे दिया गया ब्याज सहित 109425 तथा वर्ष 2015-16 मे लिया गया अंतिम आहरण रु 50000 कुल (109425+50000) रु 159425 को कुल अंतिम शेष से घटाने पर वर्ष 2016-17 के प्रारम्भिक अवशेष रु (370861-159425) 211436 होता है।

और इसी कार्यालय के श्री मोहन चंद्र जोशी (प्रयोगशाला सहायक) की सामान्य भविष्य निधि पास बुक के अवलोकन मे पाया गया की श्री मोहन चंद्र जोशी द्वारा वर्ष 2012-13 मे कार्यालय ज्ञाप संख्या 4721/जी.पी.एफ/2012-13 दिनांक 20/12/2012 के अनुसार अस्थाई अग्रिम रु 35000 लिया गया था जिसकी कटौती तत्समय जनवरी, 2013 मे नहीं की गई थी जिसके कारण उनका वर्ष 2016-17 का प्रारम्भिक अवशेष ब्याज सहित रु 529294 हो गया है ज़ो की इसके स्थान पर रु 482793 होना चाहिए था। वर्ष 2012-13 मे श्री जोशी द्वारा रु 35000 अस्थाई अग्रिम लिया था लेकिन तत्समय सामान्य भविष्य निधि खाते से आहरित धनराशि रु 35000 को घटाया नहीं गया उक्त दोनों प्रकरणो को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि ***"उक्त की गणना कर सही कर लिया जाएगा तथा महालेखाकार लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा"*** विभाग के उत्तर से तथा अभिलेखो से स्पष्ट है कि उक्तलिखित प्रकरणो मे सामान्य भविष्य निधि से आहरित धनराशि को घटाया नहीं गया है। अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-02 समझोता ज्ञापन के शर्तानुसार रु 137.43 लाख के निर्माण कार्यो के लेखो की प्रमाणित नहीं किया जाना।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रणाधीन क्षेत्रो मे विभिन्न निर्माण कार्य ग्रामीण अधियंत्रण सेवा (RES) के द्वारा करवाया जा रहा है। लेखापरीक्षा अवधि मे पूर्ण एवं हस्तांतरित किए गए कार्यो के सापेक्ष समझोता ज्ञापन (MOU) के शर्त बिन्दु संख्या 11 के अनुसार "निर्माण एजेंसी परियोजना के संबंध मे एक पृथक लेखा/ खाता रखेगी तथा परियोजना सौपने से पहले उसको उपलब्ध कराई गई कुल निधियो, मदवार/ कार्यवार व्यय/ अर्जित कुल ब्याज तथा परियोजना लेखा के अंतिम अवशेषों का अधिप्रामाणित विवरण प्रस्तुत करेगी। निर्माण एजेंसी परियोजना को सौपने से पहले ग्राहक को अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराशि लौटाएगी"।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी रुद्रपुर कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान निर्माण कार्यो से संबन्धित पत्रावालियों की लेखापरीक्षा जांच मे पाया कि आतिथि (20 अक्टूबर, 2016) लेखापरीक्षा अवधि मे रु 137.43 लाख का कार्य (विवरण पत्र संलग्न) करवाकर हस्तांतरित किया जा चुका है। उक्त लिखित शर्तानुसार कार्यदायी विभाग द्वारा कोई अभिलेख/ लेखा ग्राहक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, ना ही ग्राहक विभाग के द्वारा उक्त लिखित अभिलेख/ लेखा ही मांगे गए। उक्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि ग्राहक विभाग के द्वारा कार्यदायी विभाग को उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष वास्तव मे निर्माण कार्य पर कितना व्यय किया गया। ग्राहक विभाग के द्वारा कार्यदायी विभाग को उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि का अनुबंध गठित किया गया, अनुबंध की प्रतियाँ भी ग्राहक विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे ग्राहक विभाग के द्वारा अवमुक्त कराई गई धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय कितना किया गया सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि ***"भविष्य मे अनुबंध की छायाप्रति तथा भुगतान बिलो की मांग की जाएगी"*** आगे यह भी बताया कि " भविष्य मे कार्य पूर्ण होने पर संबन्धित सभी अभिलेख मांग कर जांच की जाएगी" विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष वास्तव मे कितना व्यय निर्माण कार्यो पर की गई, को अभिलेखो से प्रमाणित नहीं किया गया। अतः निर्माण कार्यार्थ अवमुक्त धनराशि रु 137.43 लाख के निर्माण कार्यो के लेखो को प्रमाणित किए बिना ही निर्माण कार्यो को हस्तांतरण किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 02 टूट-फूट अवस्था मे प्राप्त औषिधी एवं यंत्र के सापेक्ष अनियमित रु 35744 भुगतान किया जाना

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ड्रेंचिंग बोतल, मिजरिंग सिलेन्डर एवं रफोक्सानाइड पाउडर की क्रय हेतू यूनाइटेड सर्जिकल लखनऊ को क्रय आदेश क्रमश दिनांक 4 जनवरी 2016 एवं 5 मार्च 2016 जारी किया गया था इसके सापेक्ष यूनाइटेड सर्जिकल लखनऊ के द्वारा क्रमश दिनांक 12/01/2016 एवं दिनांक 16/03/2016 को क्रमश रु 25322 एवं रु 10422 का औषिधी एवं यंत्र का आपूर्ति की गई थी। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान केन्द्रीय भंडार से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया कि उक्तलिखित औषिधी एवं यंत्र टूटे हुए और फटे हुए पाये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता को वापस भेज दिया गया, लेकिन उक्तलिखित टूटे एवं फटी हुई स्थिति मे प्राप्त औषिधी एवं यंत्र के सापेक्ष विभाग द्वारा भुगतान किया जा चुका था, जबकि केंद्रीय भंडार मे सामग्री सही स्थिति मे प्राप्त होने पर ही भुगतान हेतू भंडार पाल के द्वारा अनुशंशा कर कार्यालय के द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था। उक्तलिखित कुल धनराशि (रु 25322 + रु 10422) रु 35744 का औषिधी एवं यंत्र, ज़ो कि आपूर्तिकर्ता फर्म को वापस किया गया था, आथिति तक (20/10/2016) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा न ही उक्तलिखित धनराशि वापस किया गया है न ही औषिधी एवं यंत्र ही आपूर्ति की गई है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि ***"सामग्री प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है सामग्री प्राप्त होने पर महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा"*** विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि प्रश्नगत औषिधी एवं यंत्र क्रमश 12/01/2016 एवं 16/03/2016 को ही टूट-फूट अवस्था मे प्राप्त किया गया था लेकिन कार्यालय के द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक सामग्री या भुगतानित धनराशि वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत: टूट-फूट अवस्था मे प्राप्त औषिधी एवं यंत्र के सापेक्ष अनियमित रु 35744 भुगतान किया जाने का प्रकरण उच्चाधिरियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II